न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 36 / 2019

1– मुन्नीराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी सुनारी तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

..............अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार लाडनूं, तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, लाडनूं, मुकदमा नं0 05 / 19 बअनुवान राजस्थान सरकार जरिये प0ह0 सुनारी बनाम मुन्नीराम निर्णय दिनांक 29.04.2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक : 09.03.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 05 / 2019 बअनुवान पटवारी हल्का सुनारी बनाम मुन्नीराम में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी ने अपीलान्ट / अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट / अप्रार्थी ने मौजा ग्राम सुनारी के खसरा नम्बर 456 रकबा 04.04 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ते की भूमि में से 01बीघा 04 बिस्वा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस' जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा सुनारी के खसरा नम्बर 456 रकबा 01बीघा 04 बिस्वा किस्म गैर मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा सुनारी के खसरा नम्बर 456 रकबा 01बीघा 04बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं संवत 2075 की वार्षिक लगान दर 0.45 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 27/- अक्षरे सताईस रूपये कायम किया गया व अपीलान्ट/अप्रार्थी से जुर्माना वसूली हेतु पटवारी हल्का को भौतिक रूप से बेदखली हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 12.06.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 12.06.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। । अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2021/451 दिनांक 13.06.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

{3} -वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:-

{3}(1)-यह है अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है।, अतः आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(2) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत आदेश अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वास्क्याती भूल की है, अतः आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुए आदेश अधीन अपील पारित करने में घोर त्रृटि की है, अतः आदेश अधीन अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) – यह है अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही विधिवत नोटिस दिया गया, जो कि एक तरफा कार्यवाही की गई, जो विधिक प्रकिया अपनाते हुये नहीं की गई है।

{3}(5) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है तथा अपीलान्ट/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(6) –यह है कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया, ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये है इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(7) – यह है कि पटवारी हल्का ने जो रास्ता बताया गया है। वहॉ पर किसी प्रकार का कोइ रास्ता न तो है और ना ही था।

{3}(8) – यह है कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कभी कोई जानकारी नहीं रही है एवम दिनांक 27.05.2019 को आर.आई. द्वारा मौखिक रूप से कहने पर निर्णय की जानकारी हुई, जिससे न्यायालय से दिनांक 27.05.2019 को नकल निर्णय प्राप्त करने पर सम्पूर्ण तथ्यों का ज्ञान हुआ, जिससे उक्त अपील अन्र मयाद है एवम डिले कन्डोन के लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

अपील अपीलान्ट ने बहस के दौरान निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 05/2019 बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का सुनारी बनाम किशनी देवी में निर्णय दिनांक 29.04.2019 खारीज किया जाकर उक्त अपील को स्वीकार किया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

जिला कलक्टर, डीडवाना

{4} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का सुनारी की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक भरनावा द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम सुनारी, के खसरा नम्बर 456 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा किस्म गै0 मु0 रास्ता की भूमि बन्द कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थी का नोटिस तामील होकर अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुआ। अपीलान्ट/अप्रार्थी बाद सूचना के अनुपस्थित हुआ जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट ने जानबुझकर अपना पक्ष नहीं रखना चाहता है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल लायी गयीं जो सही है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। जो सार्वजनिक प्रयोग में आती है। उक्त अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

:::: आदेश ::::

अतः अपीलान्ट की अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.04.2019 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)